न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
229/2024	25.10.2024	04.03.2025

बउनवान

1. बालजी पुत्र श्री बजरंग सिंह
2. हरिसिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जातियान राजपूत निवासीयान मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र श्री साधूराम
2. योगेश कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द
3. सुरेश पुत्र श्री कैलाशचन्द
4. मुनेश देवी पुत्री कैलाशचन्द जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. रेशमी पुत्री साधूराम
7. कमला पुत्री साधूराम
8. बिमला पुत्री साधूराम जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा

इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री रणवीर सिंह यादव :— वादी अधिवक्ता

वादीगण के वाद का सार निम्न प्रकार से है कि :—

1. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 287 रकबा 0.49 हैक0, वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है मौके पर काबिज होकर काश्त करते रहे है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा से प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है वादीगण के पूर्वजों ने आराजी मुतनाजा अपने परिवार की आवश्यकता के लिये वादीगण, के पूर्वजो के पास अर्सा करीब 75—76 साल पूर्व राहिन रखी थी वादीगण के पिता उक्त समय बिमार रहते थे कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं थे ईलाज के लिये पैसों की आवश्यकता होने पर आराजी को प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

के पूर्वजो के पास रूपये चुकाने तक के लिये राहिन रखी थी परन्तु उक्त समय यही तय हुआ था कि आप आराजी से पैदावार लेते रहेगें और आप द्वारा दी गयी रकम का ब्याज नहीं दिया जावेगा बिना ब्याज के रकम लौटा दी जावेगी।

4. यह है कि वक्त राहिन वादीगण भी नाबालिग रहे है और वादीगण के पिता बिमारी से पिडित होने के कारण कृषि कार्य बाधित हो रहा था वादीगण जब बालिग हुये और काम काज सम्भालने लगे तो वादीगण ने सन् 1965 में प्रतिवादीगण की रकम वापिस लौटा दी गयी और आराजी को राहिन मुक्त प्रतिवादीगण से करा लिया था लेकिन वादीगण को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि वादीगण के पिता ने राहिन रखते समय कोई दस्तावेज लिखाया था वादीगण प्रतिवादीगण के बताये अनुसार रकम प्रतिवादीगण को लौटा दी लेकिन उस समय प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को छिपाये रखा कि हमने राहिन बाबत कोई दस्तावेज लिखाया है।

5. यह है कि वादीगण ने रकम चुकता करने के बाद आराजी को रहन मुक्त होना मानकर आराजी पर काश्त करने लग गये और आराजी मुतनाजा पर कब्जा मौके पर ले लिया परन्तू राजस्व रिकोर्ड में हो रहे प्रतिवादीगण के नाम के अंकन को हजफ कराने व राजस्व रिकोर्ड दुरुस्त कराने बाबत जानकारी नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चले आ रहे है। राजस्व रिकोर्ड में हरबाई पत्नी नत्थू का भी राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज हो रहा है। हरबाई लावल्द दिनांक 18/03/1992 को फौत हो चुकी है जिसके कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री नहीं है, हरबाई प्रतिवादी सं0 1 की ताई लगती है प्रतिवादीगण ही हरबाई के उत्तरजीवी उत्तराधिकारी है। साधू पुत्र देवीसहाय का नाम भी राजस्व जमाबन्दी में राहिन के रूप में दर्ज है। साधू प्रतिवादी सं0 1 के पिता व प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 के दादा रहे है जो अर्सा दराज पूर्व फौत हो चुके है। साधू की विरासत इंतकाल प्रतिवादी के नाम दर्ज किया गया था इसलिये साधू पुत्र देवीसहाय एवं हरबाई पत्नी नत्थू पूर्व में फौत हो चुके है इसलिये राजस्व रिकोर्ड से नाम हजफ किया जाना न्यायसंगत है।

6. यह है कि आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण का सन् 1965 के बाद से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। राजस्व रिकॉड में प्रतिवादी के नाम गलत व बेजा तौर पर इन्द्राजात हो रहे है वादी आराजी मुतनाजा के खातेदार काबिज काश्तकार है मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

7. यह है कि आराजी मुतनाजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के प्रभावशील होने के पूर्व से राहिन की गयी थी इसलिये राहिन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है नियत अवधि 20 वर्ष के बाद राहिन स्वतः उन्मोचित हो जानी चाहिये थी लेकिन राजस्व रिकोर्ड में अभी तक प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकोर्ड में राहिन मुर्तहन के रूप में दर्ज होते आ रहे है। आराजी मुतनाजा बाबत वादीगण के बालिग होने पर सन् 1965 में प्रतिवादीगण की रकम चुकता देकर आराजी को राहिन मुक्त करा ली थी लेकिन राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राजात चले आ रहे है। राजस्व रिकोर्ड में वर्तमान इन्द्राजात वादीगण के अधिकारों के खिलाफ बातिल व बेअसर है वादीगण के अधिकारों पर नाकाबिल पाबंदी है इसलिये आराजी मुतनाजा हाल ख0 नं0 287 रकबा 0.49 हैक0, वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान से प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 के पिता कैलाशचन्द पुत्र श्री साधूराम, साधूराम पुत्र श्री देवीसहाय, हरबाई पत्नी नत्थू के नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाकर राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाये जावे।

8. यह है कि आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकोर्ड में हो रहे प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राजात की जानकारी वादीगण को नहीं रही थी लम्बे समय तक प्रतिवादीगण ने भी कोई विवाद नहीं किया इसलिये राजस्व रिकोर्ड देखने का अवसर नहीं आया और वादीगण ने राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन नहीं किया अब दिनांक 16/08/2024 को आराजी के विनिमय के लिये वादीगण ने राजस्व रिकोर्ड की नकले लेनी चाही तो पटवारी हल्का ने बताया कि आराजी का विक्रय पत्र विनिमय पत्र नहीं लिखा जायेगा क्योंकि आराजी के राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 के पिता का नाम एवं हरबाई व साधूराम के नाम का इन्द्राज राहिन के रूप में दर्ज हो रहा है इसलिये आराजी का कोई भी दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता है इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो मालुम हुआ की प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 के पिता कैलाशचन्द दिनांक 06/06/2023 को फौत हो चुके है और उनकी विरासत अभी प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 के नाम दर्ज व मंजूर नहीं हुयी है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा में कैलाशचन्द की विरासत दर्ज नहीं करा रहे है एवं आराजी के राजस्व रिकोर्ड को वादीगण के पक्ष में दुरूस्त कराने में गुरेज कर रहे है। प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में राहिन के रूप में रहने से वादीगण को क्षति हो रही है वादीगण अपनी खातेदारी की आराजी पर ऋण लेने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ उठाने, विक्रय करने आदि विधिक अधिकारों से वंचित रह रहे है इसलिये अपने अधिकारों की रक्षार्थ दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिमी आया है।

9. यह है कि आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकोर्ड में हो रहे प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राजात की जानकारी वादीगण को नहीं रही थी लम्बे समय तक प्रतिवादीगण ने भी कोई विवाद नहीं किया इसलिये राजस्व रिकोर्ड देखने का अवसर नहीं आया और वादीगण ने राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन नहीं किया अब दिनांक 16/08/2024 को आराजी के विनिमय के लिये वादीगण ने राजस्व रिकोर्ड की नकले लेनी चाही तो पटवारी हल्का ने बताया कि आराजी का विनिमय पत्र नहीं लिखा जायेगा क्योंकि आराजी के राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 के पिता का नाम एवं हरबाई व साधूराम के नाम का इन्द्राज राहिन के रूप में दर्ज हो रहा है इसलिये आराजी का कोई भी दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता है इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो मालुम हुआ की प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 के पिता कैलाशचन्द दिनांक 06/06/2023 को फौत हो चुके है और उनकी विरासत अभी प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 के नाम दर्ज व मंजूर नहीं हुयी है। प्रतिवादीगंण आराजी मुतनाजा में कैलाशचन्द की विरासत दर्ज नहीं करा रहे है एवं आराजी के राजस्व रिकोर्ड को वादीगण के पक्ष में दुरूस्त कराने में

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

गुरेज कर रहे है बस यही बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा दायर किया जा रहा है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस आश्य की फरमायी जावे कि आराजी मुतनाजा हाल ख० नं0 287 रकबा 0.49 हैक०, वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान से प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ल0 4 के पिता कैलाशचन्द पुत्र श्री साधूराम, साधूराम पुत्र श्री देवीसहाय, हरबाई पत्नी नत्थू के नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाकर राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाये जावे।

(ब) यह है कि डिकी हु0 ई0 दवामी इस आश्य की फरमायी जावे कि आराजी मुतनाजा हाल ख० नं0 287 रकबा 0.49 हैक्क, वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में प्रतिवादीगण मिन वादीगण के कब्जें काश्त में मजाहमत पैदा ना करे आराजी को खुर्द बुर्द ना करे।

(स) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। विधिवत रूप से तामिल होने के बाद प्रतिवादी ने उपस्थित होकर ईकबाल जबाव दावा पेश किया गया। पत्रावली शामिल है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श– 1 हाल जमाबन्दी, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल 2071, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029, प्रदर्श–4 इंतकाल संख्या 2053 वाके ग्राम मिर्जापुर पेश किये।

वादीगण अधिवक्ता ने वादी के वाद के दौरान बहस कथन कहे कि जो निम्न इस प्रकार है कि :–

वादी अधिवक्ता ने वाद के जिमन को दौहराते हुए निवेदन किया गया कि विवादित आराजी को वादी के पूर्वजों ने अपने परिवार की आवश्यकताओ की पुर्ति करने हेतु प्रतिवादी के परिवार से लगभग 75–76 साल पूर्व रहन रखी थी। जिसका भुगतान वादी द्वारा/वादी के पुर्वजो द्वारा प्रतिवादीगण को पूर्व में किया जा चुका है इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 व 06 लगायत 08 ने उपस्थित होकर ईकबाल जबाव दावा प्रस्तुत किया गया है जो पत्रावली शामिल है। उक्त प्रतिवादी के पूर्वजो का नाम राजस्व रिकोर्ड से कलमजन किया जावे तो कोई एतराज व आपत्ति नही है। इसलिए वादीगण के वाद को स्वीकर कर रहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) हरबाई पत्नी नत्थु भागीरथ कैलाश पि. साधू 1/4 पुत्र देवीसहाय 1/4 अहीर सा0 जालावास को कलमजन किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण के वाद पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 व 6 लगायत 8 को वादी के वाद को स्वीकार किये जाने बाबत कोई उज्र या एजराज नही है। इसलिए वादीगण का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

निर्णय

उक्त विवेचन के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद को स्वीकर किया जाता है कि खसरा नम्बर 287 रकबा 0.49 हैक०, वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी में हो रहे अंकन राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) हरबाई पत्नी नत्थू भागीरथ कैलाशचन्द पि0 साधू 1/4 साधू पुत्र देवीसहाय 1/4 अहीर सा0 जालावास को कलमजन किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(सुरेश कुमार बलाई) उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
229/2024	25.10.2024	04.03.2025

बउनवान

1. बालजी पुत्र श्री बजरंग सिंह
2. हरिसिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जातियान राजपूत निवासीयान मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र श्री साधूराम
2. योगेश कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द
3. सुरेश पुत्र श्री कैलाशचन्द
4. मुनेश देवी पुत्री कैलाशचन्द जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. रेशमी पुत्री साधूराम
7. कमला पुत्री साधूराम
8. बिमला पुत्री साधूराम जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा

इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री रणवीर यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 04.03.2025 को श्री सुरेश कुमार बलाई, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

खसरा नम्बर 287 रकबा 0.49 हैक०, वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी में हो रहे अंकन राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) हरबाई पत्नी नत्थू भागीरथ कैलाशचन्द पि0 साधू 1/4 साधू पुत्र देवीसहाय 1/4 अहीर सा0 जालावास को कलमजन किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner